न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

निग 3564 - पन16

1. झीनी प्रसाद तनय श्री शारदा प्रसाद ब्राम्हण
2. राजनारायण तनय श्री शारदा प्रसाद ब्राम्हण

दोनों निवासी ग्राम लोंहदवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 -----**आवेदक**

बनाम

विद्यानिवास पाण्डेय तनय श्री बृजमोहनराम पाण्डेय निवासी लोंहदवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 -----**अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण कमांक 05/अ-6-अ/2013-14 जो <u>आदेश दिनांक 29.08.16 मे पारित</u> .

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.08.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3564-दो/2016 जिला रीवा ज्ञानीप्रसाद विरूद्ध विद्यानिवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 05/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-08-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 01/3/19	